लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखनऊ

(I.S.O. 9001:2008 & I.S.O 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

गोमतीनगर योजना स्थित

डॉ0 राम मनोहर लोहिया पार्क में

प्रवेश शुल्क संचालन की व्यवस्था

नियम एवं शर्ते

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

एक सुन्दर शहर......................हमारा संकल्प

लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ
(I.S.O. 9001:2008 & I.S.O 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

<u>अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Intrest) का आवेदन एवं नियम व शर्ते :–</u>

कार्य का नाम :– प्राधिकरण द्वारा विकसित डॉ0 राम मनोहर लोहिया पार्क गोमती नगर में एक वर्ष की अवधि के लिए पार्क में प्रवेश शुल्क व्यवस्था के संचालन का कार्य।

<u>प्रवेश शुल्क व्यवस्था संचालन की नियम व शर्ते :–</u>

1. पार्क में प्रवेश शुल्क व्यवस्था के संचालन एक वर्ष की अवधि के लिये होगा। सन्तोषजनक संचालन एवं आपसी सहमति के आधार पर अवधि बढ़ायी जा सकती है, जिसमें उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ का निर्णय अन्तिम होगा।
2. प्रस्ताव के साथ रु0 1,00,000.00 (एक लाख) मात्र का बैंक ड्राफ्ट/नकद जो लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के पक्ष में देय हो, जमा कराना होगा। बिना जमानत धनराशि के प्रस्ताव स्वीकार नही किया जाएगा।
3. अनुज्ञप्ति कर्ता को प्रस्ताव के साथ आयकर पैन नम्बर, निवास प्रमाण पत्र व मतदाता पहचान पत्र की प्रति जमा कराना होगा।
4. पार्क में हथियार सहित प्रवेश वर्जित है।
5. प्रस्ताव स्वीकृत होने की दशा में सर्वोच्च नीलामी धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी। जमा न कराने की दशा में जमानत के रुप में जमा धनराशि प्राधिकरण कोष में जब्त कर ली जायेगी।
6. जब तक उच्चतम प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव की 25 प्रतिशत धनराशि तत्समय प्राधिकरण कोष में जमा नही करा दी जाती है तब तक द्वितीय उच्चतम प्रस्तावक की जमानत की धनराशि वापस नही की जायेगी। अन्य प्रस्तावकों की जमानत की धनराशि वापस कर दी जायेगी।
7. प्रस्ताव स्वीकृति के उपरान्त सर्वोच्च प्रस्ताव की अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 15 दिन के अन्दर जमा करनी होगी। जमा नही करने की दशा में पूर्व में जमा 25 प्रतिशत धनराशि प्राधिकरण कोष में जब्त कर ली जायेगी तथा पुनः (Expression of Intrest) आमंत्रित की जायेगी।
8. प्रथम उच्चतम प्रस्तावक द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि जमा न करने पर उसकी जमानत की धनराशि जब्त करते हुए द्वितीय उच्चतम प्रस्तावक के प्रस्ताव की 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने के लिये निर्देशित किया जायेगा। यदि द्वितीय उच्चतम प्रस्तावक द्वारा भी 25 प्रतिशत धनराशि जमा नही की जाती है तो उसकी भी जमानत जब्त करते हुए पुनः (Expression of Intrest) आमंत्रित किया जायेगा।
9. आयकर प्राविधानों के अनुसार प्रस्ताव हेतु प्राप्त उच्चतम प्रस्तावित की धनराशि पर निर्धारित जी. एस.टी. अतिरिक्त जमा करना होगा। जी.एस.टी. की देय धनराशि प्रस्ताव स्वीकृति के पश्चात प्राधिकरण

कोष में जमा करानी होगी तथा राज्य सरकार अथवा प्रशासन द्वारा समय–2 पर निर्धारित कर सर्वोच्च प्रस्तावक को स्वयं वहन करने होगें, इसके लिये प्राधिकरण द्वारा कोई प्रतिपूर्ति नही की जायेगी।

10. प्रस्ताव के सम्बंध में कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
11. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जिला लखनऊ होगा।
12. प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात संचालन कर्ता को अपने खर्चे पर प्राविधानों के अनुसार व प्रदत्त निर्धारित लागू शासनादेशों के अधीन सब रजिस्ट्रार लखनऊ द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार वांछित स्टाम्प पेपरों पर एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध कराना होगा।
13. संचालनकर्ता अपने अधिकार को किसी भी दशा में किसी अन्य व्यक्ति/एजेन्सी को हस्तान्तरित नही करेगा, ऐसा करने की दशा में प्रस्ताव निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
14. संचालनकर्ता अथवा उसके कर्मचारी गण किसी भी नागरिक के साथ दुर्व्यवहार नही करेंगें।
15. संचालनकर्ता प्रवेश शुल्क के रुप में रु0 10.00 प्रति व्यक्ति जी0एस0टी0 सहित से अधिक की दर से वसूल नही करेगा और इसके लिये निर्धारित दर का टिकट जारी करेगा, जो प्राधिकरण से अनुमोदित कराना होगा।
16. संचालनकर्ता द्वारा नागरिकों के लिये निम्नानुसार दर से पास निर्गत किये जायेगें, जिसका प्रारुप प्राधिकरण से अनुमोदित कराना होगा।

क्र0सं0	विवरण	पास दर प्रतिमाह	पास दर प्रति बारह माह
1	प्रति वयस्क व्यक्ति	रु0 100.00 जी0एस0टी0 सहित	रु0 1,000.00 जी0एस0टी0 सहित

17. संचालनकर्ता द्वारा टिकट/पास के निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि वसूल नही की जायेगी। शर्त के उल्लंघन की दशा में (Expression of Intrest) निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और कोई भी आनुपातिक धनराशि आदि वापस नही की जायेगी।
18. पार्क खुलने का समय – शरद ऋतु प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक तथा ग्रीष्म ऋतु प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक रहेगा।
19. प्रत्येक राष्ट्रीय अवकाश के दिवस में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। इसके अतिरिक्त डा0 राम मनोहर लोहिया जी के जन्म दिवस के अवसर पर (23 मार्च से 26 मार्च 04 दिन तक) एवं परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर (12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 04 दिन तक) प्रवेश निःशुल्क रहेगा।
20. वरिष्ठ नागरिक एवं 12 वर्ष तक आयु वर्ग के स्कूली छात्र/छात्राऐं तथा अन्य बच्चे एवं प्राधिकरण अधिकारी कर्मचारियों, पत्रकार, विशिष्ट अतिथिगण एवं दिव्यांग के लिये प्रवेश निःशुल्क रहेगा, जिसके लिये प्राधिकरण द्वारा कोई प्रतिपूर्ति नही की जायेगी।
21. संचालनकर्ता पार्क में उपलब्ध विद्युत व्यवस्था सामान्य उपयोग कर सकेंगें। विद्युत कट के समय एवं अतिरिक्त आवश्यकता हेतु विद्युत व्यवस्था को अनुज्ञप्तिकर्ता को स्वयं करनी होगी, जिसके लिये प्राधिकरण द्वारा कोई प्रतिपूर्ति नही की जायेगी।
22. मा0 न्यायालयों, राज्य सरकार तथा प्रशासन द्वारा समय–2 पर दिये गये आदेशों का अनुपालन करना होगा।
23. विशेष परिस्थितियों में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को अधिकार होगा कि यह बिना कारण बताये एक माह का नोटिस देकर प्रस्ताव समाप्त कर सकते हैं परन्तु ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिकर्ता को अवशेष अवधि की ही अनुपातिक धनराशि प्राधिकरण द्वारा वापस की जायेगी।

24. प्रवेश शुल्क की दरों के सम्बंध में स्थल पर सूचना पट जिसमें एक प्रवेश द्वार पर तथा एक निकास द्वार पर लगवाना होगा तथा मौके पर शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका रखनी होगी व उसकी उपलब्धता की सूचना के सम्बंध में सूचना पट पर अंकित करना होगा।
25. संचालन कर्ता द्वारा तैनात कर्मचारियों को निर्धारित ड्रेस में (ड्रेस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जायेगी) नेमप्लेट सहित ड्यूटी पर उपस्थित रहना होगा। कर्मचारियों की एक सूची नाम व पते सहित मौके पर रखनी होगी तथा उसकी एक प्रति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।
26. प्रवेश स्थल पर उपलब्ध एवं विकसित सुविधाओं जैसे–उद्घोषणा हेतु माइक, टिकट केबिन, सूचना पट, आदि के रख–रखाव का दायित्व अनुज्ञप्तिकर्ता का होगा एवं उसमें होने वाली किसी क्षति की पूर्ति अनुज्ञप्तिकर्ता को करनी होगी। टिकिट केबिन की व्यवस्था प्राधिकरण द्वारा की जायेगी।
27. संचालनकर्ता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसके कर्मचारीगण जो प्रवेश शुल्क व्यवस्था में लगाये गये हैं, का आचरण सही है, तथा किसी भी अपराधिक प्रवृत्ति मे संलिप्त नही है।
28. संचालनकर्ता को प्रवेश शुल्क व्यवस्था पर लगे कर्मचारियों का नाम, स्थायी पता तथा फोटो प्राधिकरण में जमा करना होगा।
29. संचालनकर्ता द्वारा प्रवेश शुल्क व्यवस्था पर लगे कर्मचारी गणों को परिचय पत्र जारी करना होगा तथा प्रवेश टिकट जारी करते समय कर्मचारी को अपना परिचय पत्र लगाना अनिवार्य होगा।

(एस0पी0 शिशौदिया)
उप निदेशक उद्यान

उपरोक्त संचालन हेतु मैने 1 से 29 तक सभी शर्तो को पढ़ लिया है और सुन एवं समझ लिया है और पूरी जानकारी के साथ अपना ऑफर रू0................................... शब्दो में .. ..प्रति वर्ष की दर से प्रस्तुत कर रहा हूँ तथा प्राधिकरण के नियम एवं शर्तो का पालन करने का वचन देता हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता
नाम–
दूरभाष संख्या–

लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखनऊ

(I.S.O. 9001:2008 एवं I.S.O 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक 161/उप निदेशक(उ.)/18 दिनांक :— 07/09/2018

रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

डॉ0 राम मनोहर लोहिया पार्क गोमती नगर में प्रवेश शुल्क व्यवस्था, संचालन का कार्य हेतु अनुज्ञप्ति आधार पर दिनांक 26.09.2018 को 03.30 बजे तक रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते है। प्रस्ताव के साथ 1,00,000.00 (एक लाख) मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक एफ0डी0आर0 सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में संलग्न करना होगा।

अनुज्ञप्ति से सम्बन्धित नियम व शर्ते किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक उप निदेशक (उद्यान) के कार्यालय/www.ldaonline.com प्राधिकरण की वैबसाईट पर देखे जा सकते है।

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण

(ISO 14001:2004, ISO 9001-2008 प्रमाणित संस्था)
प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.)
फोन: 0522-2302586 वेबसाइट: www.ldalucknow.co.in

पत्रांक: 161/उप निदेशक (उ)/18 दिनांक: 07.09.2018

रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

डॉ० राम मनोहर लोहिया पार्क गोमती नगर में प्रवेश शुल्क व्यवस्था, संचालन का कार्य हेतु अनुज्ञप्ति आधार पर **दिनांक 26.09.2018 को 03:30 बजे** तक रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते है। प्रस्ताव के साथ **1,00,000.00 (एक लाख)** मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर. सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में संलग्न करना होगा।

अनुज्ञप्ति से सम्बन्धित नियम व शर्ते किसी भी कार्य दिवस में **प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 4:00** बजे तक उप निदेशक (उद्यान) के कार्यालय/**www.ldaonline.com** प्राधिकरण की वेबसाईट पर देखे जा सकते है।

मुख्य अभियन्ता

CMYK

Date - 8-9-2018 - T